

कोर्ट सितावाला

क्रिसम मुकदमा 532-7-14 नं. 32 सन् 2016

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुकम की तामील में जारी हुकम
------------	-------------------------	-------------------------------------------------------

85
18

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट सितावाला में सुगत, 14 पुत्र सुगत, 14 जाति जाट निवासी सितावाला तहसील तारानगर ने पेश किया। अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजिस्ट्रर हो।

पक्षकारों ने उपस्थित होकर 57 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर व नक्शा ट्रेस पर वाहमी राजीनामा पेश किया। राजीनामा पक्षकारों को समझाया गया। सभी पक्षों ने राजीनामा पढ. व समझ कर सही होना स्वीकार किया। राजीनामा प्रमाणित कर शामिल पत्रावली किया गया। पक्षकारों की पहचान सितावाला सरपंच ग्राम पंचायत सितावाला सदस्य लोक अदालत सलाहकार समिति ने की। पक्षकारों का खाता विभाजन का वाद लोक अदालत बेंच सितावाला द्वारा स्वीकार किया जाता है। नक्शा ट्रेस में वर्णितानुसार कृषि भूमि पक्षकारों के हक हिस्सा में रहेगी। तहसीलदार तारानगर को नक्शा ट्रेस की प्रति भिजवाई जाकर राजीनामा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु आदेश जारी हो।

पत्रावली निर्णय में शुमार की जाकर नम्बर से कम हो तथा तरतीब, तकमील होर दाखिल दफतर हो।

उपबन्ध अधिकारी
तारानगर (चूरु)